भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1109

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

जनजातियों को पेश आने वाले गंभीर सांस्कृतिक मुद्दे

1109. डा॰ टी॰ एन॰ सीमाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में आई कई रिपोर्टों की जानकारी है कि जनजातीय लोगों को गंभीर सांस्कृतिक मुद्दों जैसे अकेलेपन, विरासत, पाक शैली, जनजातीय संस्कृति के संबंध में स्वामित्व की भावना, परंपरागत खेलों, शिल्प-कला, औषधियां और चिकित्सीय प्रक्रियाओं का क्षय का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधन हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन जनजातीय लोगों की सहायता हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं जो कथित तौर पर अपने परंपरागत व्यवसायों से कम आय तथा खाद्य विविधता की कमी के अतिरिक्त देश भर में व्यापक बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) तथा (ख) : जनजातीय लोगों के सामने आ रहे सांस्कृतिक मुद्दों को मान्यता देने तथा उनके समाधान के लिए भारत सरकार ने जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय 18 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को विभिन्न गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

1. जनजातीय समुदायों की अमूर्त विरासत/कला व शिल्प का प्रलेखन,
2. अनुसूचित जनजातियों व विशेष से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए डाटाबेस का विकास,
3. जनजातीय विरासत, उत्सवों, लोक साहित्य, कला, स्थानीय खेल-कूद, गीतों, पारंपरिक भोजन, औषधीय पौधों तथा चिकित्सीय पद्धियों, साहित्य इत्यादि का अनुवाद एवं प्रकाशन,
4. जनजातीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं (प्राइमर) का विकास एवं मुद्रण, जनजातीय भाषाओं की पुस्तकों/शब्दकोशों का प्रकाशन तथा जनजातीय लोगों आदि में नीतिगत प्रावधानों के प्रसार के लिए प्रमुख जनजातीय भाषाओं में नीतिगत प्रावधानों का अनुवाद और
5. जनजातीय त्यौहार का आयोजन तथा जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान।

जनजातीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किए गए कार्यात्मक दृष्टिकोण वन बंधु कल्याण योजना की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस मंत्रालय ने उपर्युक्त मुद्दों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर परामर्श भी जारी किए हैं:-

* क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा दोनों में विषय वस्तु रखने वाली द्वीभाषी प्राथमिक पुस्तकों का विकास परन्तु वे स्थानीय आधिकारिक लिपि में होंगी तथा जनजातीय सांस्कृतिक संदर्भ में प्राथमिक पुस्तकों की विषय वस्तु हो।
* प्रमुख जनजातीय त्योहारों के साथ विद्यालय के अवकाश को संयोजित किया जाना है।
* किंचन गार्डन और परंपरागत खेलों का संवर्धन।
* स्कूल के भोजन में परंपरागत खाद्य पदार्थ (ज्वार, बाजरा) तथा उनकी खेती का भी समावेश।
* परंपरात जनजातीय औषधियों और चिकित्सा पद्धियों का प्रलेखन।

(ग) : जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जनजातियों हेतु कौशल विकास और रोजगार-सह-आय सृजनकारी क्रिर्यकलाप चलाने के लिए राज्य योजना के योगज के रूप में निधियां प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जनजातियों की आवश्यकता आधारित एकीकृत आजीविका पहलों और कौशल उन्नयन के संवर्धन के लिए आग्रह किया जो उन्हें सम्मानजनक नौकरियां दिला सके जैसे:-

* बाजार से उपयुक्त संपर्क के साथ विविध फसलें, बागबानी, राज्य सहकारिता के साथ डेयरी विकास, घर में मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन आदि।
* विपणनीय कौशल जैसे कार्यलय प्रबंधन, सौर तकनीशियन/इलेक्ट्रिनियशन, ब्यूटिशियन, हस्तशिल्प, दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक कौशल (जैसे प्लबिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, बढई) रेफ्रिजेशन एवं एसी मरम्मत, मोबाइल फोन की मरम्मत, बागबानी/फूल उगाना/मधुमक्खी पालन पोषण एवं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर), आयुर्वेदिक एवं जनजातीय औषधियां, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, फैब्रीकेशन, होम नर्स प्रशिक्षण, वाहन ड्राइविंग एवं मिस्त्री, इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाइंडिंग, सुरक्षा गार्ड, गृह सज्जा एवं प्रबंधन, खुदरा प्रबंधन, मेहमान नवाजी, पारिस्थितिकीय पर्यटन आदि।

मंत्रालय ने आजीविका के लिए शिक्षा को और अधिक उपयोगी बनाने तथा विद्यालय स्तर पर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक अथवा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर वाले आश्रम विद्यालयों में शिक्षा, कैरियर एवं व्यावसायिक (ईसीवी) परामर्शदाता का प्रबंध करने के लिए आवासीय विद्यालयो के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण पर सलाह भी जारी की है

\*\*\*\*\*